संख्या-49/2026/001-898-81-4-26

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र, रेनुकूट, ओबरा, श्रावस्ती, बहराइच,
सोहेलवा वन्य जीव बलरामपुर तथा कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 81 के अन्तर्गत जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत पूरे वर्ष के लिए व्यय हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की जनपदवार/प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार वित्तीय स्वीकृत जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-837/36-बी-15(जी)/एस.सी.एस.पी.(2026-27),दिनांक 04.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधो के आधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(टी0एस0पी0) के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 323.00 लाख के सापेक्ष रू0 181.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिवंधो के आधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

योजना-सामाजिक वानिकी योजना(जिला योजना)-(टी०एस०पी०)

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्ययक प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या-81 के जनजाति कल्याण योजना के पूंजी लेखा के लेखाशीर्षक-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्वय-01-वानिकी-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-सामाजिक वानिकी (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	**जनपद का नाम**	**प्रभाग का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
1	सोनभद्र	सोनभद्र	26.51
		रेनुकूट	35.15
		ओबरा	24.71
	योग -विंध्यांचल		**86.37**
2	श्रावस्ती	श्रावस्ती	54.71
3	बहराइच	बहराइच	18.47
		कर्तिनियाघट	2.79
4	बलरामपुर	सोहेलवा वन्यजीव	19.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	योग-देवीपाटन वृत		**95.15**
	कुल योग-		**181.52**

(रु0 एक करोड़ इक्यासी लाख बावन हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी०ए०-1132/ दस-2004-1/2004, दिनांक 07-01-2005 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय। योजनावार स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य योजना का कार्य कदापि न कराया जाय।

(5) उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निष्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(6) आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

(7) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

(8) आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबंधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-81 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

(9) कृपया आवंटित व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

(10) धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अतः यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें।

(11) उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(12) जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

(13) व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

(14) उक्त के अतिरिक्त समस्त औपचारिकताओं एवं वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14-प०भू०वि०/99-3/99, दिनाँक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।(16) योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं समस्त क्रय सम्बन्धी कार्य जी०ई०एम० पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,81,52,000 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 4406017960300 सामाजिक वानिकी (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 49(1)/2026/001-898-81-4-26, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, चतुर्थ तल हाल नं0 2, आडिट भवन टी0सी0 35, वी 1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रुहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।

8- सम्बन्धित वन संरक्षक / समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलकों में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।

10- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग)

.13- वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1)

.14- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

15- कम्प्युटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।

16- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।